कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com **Phone/Fax No. - 01371-237084**

पत्रांक 257 /०सी० दिनांक 04/03/2023

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :– प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/41009/2019** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग।

महोदय,

विषयक प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/41009/2019** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का फार्म ए. संशोधन कर दिया गया है। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं	आपत्ति	आख्या
1	In reply to point no. 2, submitted that village is not connected with the road. However, on perusal of KML file it appears that village is already connected and another connectivity (proposed road) with enumeration of 75 trees is not justified. State Government is requested to submit the details of the routes nearest to the existing village and the path distance of the existing routes to the village.	ग्राम गोरूण चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 24 से लगभग 1.50 कि.मी. की पैदल दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की अपलोड की गयी के.एम.एल. फाइल में ग्राम जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कि पैदल मार्ग से जुड़ा है। मार्ग पर 0–10 व्यास के 14 पेड़, 10–20 व्यास के 22 पेड़ एवं 20–30 व्यास के 23 पेड़, 30–40 व्यास के 07 पेड़, 50–60 व्यास के 02 पेड़, 60–70 व्यास के 04 पेड़ एवं 80–90 व्यास के 01 पेड़ कुल 75 पेड़ों में से 0–10 व्यास के 14 पेड़ों को पृथक कर अब कुल वृक्षों की संख्या 59 होती है। मार्ग पर 7.00 मीटर चौड़ाई में ही पेड़ों की गणना की गयी है, जो कि इससे कम होना सम्भव नही है।
2	State Government is also requested to clarify considering the distance of the existing routes from the village if the proposed road meets the IRC norms.	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की मार्ग नीति के अनुरूप पत्रांक 8167/III(2)/18–15 (सा.)/2018, दिनांक 31.12.2018 के बिन्दु संख्या 04 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये सड़क से 100 मीटर उर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ माना जायेगा, जबकि ग्राम गोरूण एवं पोखरी की दूरी 150 से 200 मीटर तक है। इसलिए उक्त गांव को सड़क से संयोजकता हेतु अलग से मार्ग की आवश्यकता है।
3	In reply to point no. 3, no correction made. State Government is again requested to upload the digital map and SoI toposheet map of the CA area mentioning the name of the selected CA area.	सी.ए. का डिजिटल मैप एवं टोपोसीट additional information में अपलोड कर दी गयी है।

4	In reply to point no. 4, only geologist report found uploaded. Administrative approval is not found uploaded yet which is required to be uploaded.	प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति additional information में अपलोड कर दी गयी है।
5	In reply to point no. 5, instead of providing the date on tree enumeration list, the list of trees has been removed from part-II. State Govt. is requested to upload the tree enumeration list mentioning the date of tree counting duly authenticated by the concerned authority.	उक्त प्रकरण पर पार्ट–।। से सम्बन्धित है। अतः डी. एफ.ओ. स्तर से कार्यवाही की जानी है।

संलग्न– साइट का की प्लान एवं शासन का जी.ओ.।

भवदीय

5/3/23

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

चिन्यालीसौड मोटर मार्ग से गोरसण तक प्रस्तावित मार्ग मार्ग

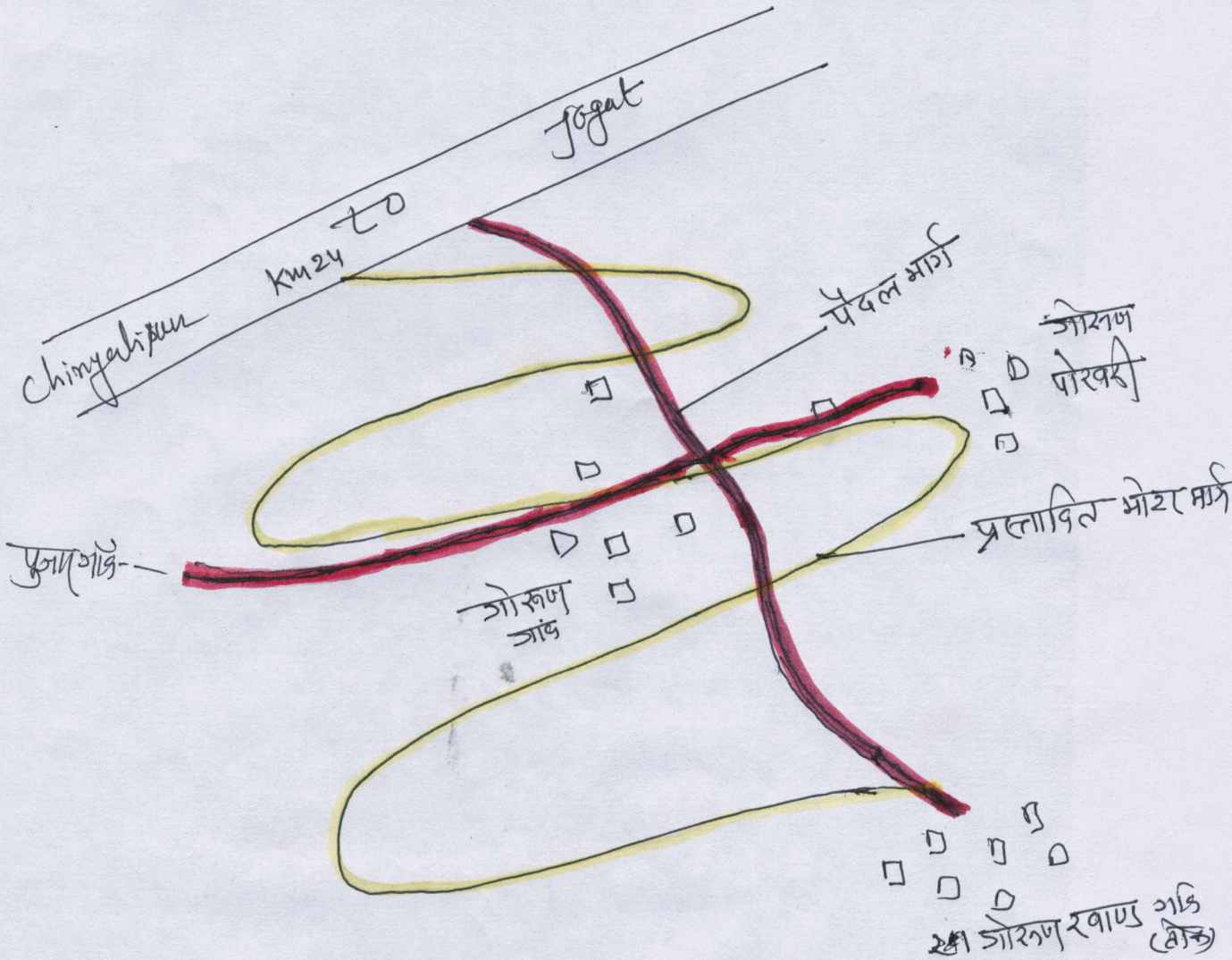

Key Plan

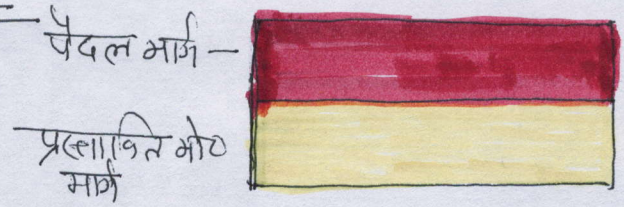

AAE

A.E.

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

प्रेषक,   संख्या : 2167 / III(2) / 18—16(सामान्य) / 2018

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग—2   देहरादून: दिनांक : 3 / दिसम्बर, 2018

विषयः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय—व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :—

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख—रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी0 से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी0सी0 टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

क्रमशः......पृष्ठ 2 पर

Photocopy Attested

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

क्रमशः......पृष्ठ 3 पर

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी